(2)

फैक्स/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्र संख्या: पीआर-26-3-2/2013 (1662) दिनांक: फरवरी 19, 2013

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे
उत्तर प्रदेश।

प्राय: देखने में आया है कि रेलगाड़ियों के महिला कोच में पुरूष यात्री प्रवेश कर जाते हैं। इससे जहाँ महिलाओं को बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाती है, वहीं पुरूष यात्री महिलाओं/लड़कियों से छेड़छाड़ एवं अभद्रता करते हैं तथा उनके सामान के चोरी की घटनायें हो जाती हैं। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में महिलाओं/लड़कियों/छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अभद्रता इत्यादि की घटनाओं की रोकथाम का दायित्व राजकीय रेलवे पुलिस का है, जिनकी रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाये जाने अत्यन्त आवश्यक है।

2- अत: आप सभी यह सुनिश्चित करें कि महिला कोच में कोई भी पुरूष यात्री न प्रवेश करने पाये। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की चेकिंग कराई जाये तथा जो भी पुरूष यात्री महिला कोच में पाये जायें, उन्हें बाहर कराया जाये।

3- इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउड हेलर द्वारा बार-बार महिला कोच के सामने उद्घोषणा कराई जाये कि कोई भी पुरूष महिला कोच में यात्रा न करें।

4- भारतीय रेल अधिनियम की धारा 162 में महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे में पुरूष यात्रियों के यात्रा करने पर कार्यवाही का प्राविधान है। कृपया आप सभी आर0पी0एफ0 एवं रेलवे के सहयोग से इस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

5- महिला आरक्षी/महिला मुख्य आरक्षी/महिला उपनिरीक्षक की टीम बनाकर उनको सादे में प्रभावित रेलवे स्टेशन/प्लेटफार्म/सरकुलेटिंग एरिया/ट्रेनों में लगायें, जो महिलाओं/लड़कियों/ छात्राओं के साथ छेड़छाड़/अभद्रता आदि घटनायें करने वालों की पहचान करें और ऐसे तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही नियमानुसार की जाये। अनुभाग कार्यालय या थाना/चौकी कार्यालय में कार्यरत सभी महिला पुलिस कर्मियों को इस विशेष कार्य हेतु टीम बनाकर लगाया जाये तथा इनके सहयोग हेतु कुछ पुलिस कर्मी वर्दी में लगाये जायें, जो इनसे दूरी बनाये रखते हुये मौजूद रहें, जिससे महिलाओं के साथ अपराध करने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जा सकें।

6- गत दिनों धामपुर(बिजनौर में लड़कियों के साथ फौजियों के द्वारा छेड़छाड़ की गयी, इलाहाबाद के मेजा में ताइक्वांडों खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट हुई तथा लम्भुआ में उसी प्रकार की घटना हुई। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठायें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई घटना न होने पाये।

7- जिन रेलखण्डों में लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, गुण्डागर्दी करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बिना आरक्षण के आरक्षित डिब्बों में घुस जाते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाये। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम रेलवे प्रशासन के साथ गोष्ठी करके आरपीएफ एवं रेलवे मजिस्ट्रेट का सहयोग प्राप्त कर किया जाये।

8- जिन रूट पर व ट्रेनों में महिलाओं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, दुर्व्यवहार की शिकायते हैं, छीटाकशी की शिकायतें हैं, जबरन महिला डिब्बों में एम0एस0टी0 होल्डरों के प्रवेश की शिकायतें हैं, ऐसे रूटों पर सादे व वर्दी में पुलिस कर्मियों को आकस्मिक रूप से चलवायें तथा ऐसे तत्वों की धरपकड़ की जाये। इसमें आरपीएफ का सहयोग लिया जाये तथा अभियान चलवाकर पूरे प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9- महिला उत्पीड़न की छोटी से छोटी घटना की जानकारी दी जाये व इसमें आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर कठोरतम् कार्यवाही सुनिश्चित करायें। ऐसे मामलों में तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की जाये

10- मनचलों, शराबियों तथा अवांछनीय किस्म के लोगों के विरूद्ध अभियान चलाकर उनसे सख्ती से निपटा जाये।

11- आप प्रभावित स्थानों, रूटों पर आरपीएफ व जीआरपी को लेकर पेट्रोलिंग करायें एवं ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही गुणदोष के आधार पर सुनिश्चित करायें ताकि महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों पर प्रभावी अंकुश लग सके।

(गुरदर्शन सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0लखनऊ

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद व पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, इलाहाबाद/लखनऊ को भी सूचनार्थ एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

(1)

फैक्स/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/अनुपालनार्थ

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्र संख्या: पीआर-26-3-1/2013 (1650) दिनांक: फरवरी 18, 2013

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे
उत्तर प्रदेश।

समाचार पत्रों/मीडिया के माध्यम से प्रदेश में कहीं न कहीं किसी ट्रेन पर पथराव या छेड़खानी की घटनाओं की सूचना मिल रही है परन्तु आप लोगों के माध्यम से या कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं होती है। गत दिनों सरयू एक्सप्रेस में इलाहाबाद गंगापार में पथराव हुआ, गाजीपुर में भर्ती रैली से वापस जा रहे असफल अभ्यर्थियों द्वारा पथराव किया गया तथा शताब्दी एक्सप्रेस के शीशे पत्थर मारकर तोड़ दिये गये आदि। पत्थरबाजी एवं छेड़छाड़ की घटनायें स्थानीय छात्र, एमएसटी होल्डर्स, जिनका विवाद ट्रेन में सीट में बैठने को लेकर होता है, करते हैं। इसके अतिरिक्त सेना भर्ती रैली एवं अन्य प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में सामूहिक रूप से यात्रा करने वाले असफल अभ्यर्थियों द्वारा यह घटनायें की जाती है। इसी तरह से रैलियों/धरना/प्रदर्शन में जाने वाले भी ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर विवाद/झगड़ा/पत्थर फेंकने की घटनायें करते हैं। रेलवे स्टेशनों/रेलवे लाइन पर धरना/प्रदर्शन करने वाली उग्र भीड़ द्वारा भी यदा-कदा इस तरह की घटनायें की जाती हैं। कभी-कभी शरारतवश रास्ते में चरवाहों द्वारा भी ट्रेन में पत्थर फेंकने की घटनायें होती हैं, जिससे यात्रियों के घायल होने की सम्भावना बनी रहती है तथा ट्रेन के ड्राईवर/गार्ड को भी चोंटे पत्थर लग जाने से आ जाती है, ट्रेने क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसके कारण रेलगाड़ियों का आवागमन अवरूद्ध होता है व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तथा पुलिस की छवि धूमिल होती है और ऐसे में यदि वैधानिक कार्यवाही भी न हो तो ऐसे तत्वों का मनोबल और बढ़ेगा व भविष्य में और संगीन घटनायें करेंगे।

2- ऐसे शरारती तत्वों को चिन्हित करना तथा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करना कोई दुरूह कार्य नहीं है। कृपया आप इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठायें तथा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

(1) सर्वप्रथम आप इस प्रकार की होने वाली घटनाओं से प्रभावित स्थानों एवं ट्रेनों को चिन्हित करें।

(2) जिन कालेजों के छात्र ऐसी घटनाओं में सम्मिलित हों, उनके प्रधानाचार्य के माध्यम से तथा जिला पुलिस के माध्यम से उनके अभिभावकों को सूचित करें कि वह अपने-अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें।

(3) जिला प्रशासन, जनपदीय पुलिस, आरपीएफ एवं रेलवे की मदद से पीएसी इत्यादि को लेकर अभियान चलवाकर ऐसे शरारती तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करायें।

(4) चलती ट्रेन पर पथराव की घटना जीआरपी का अधिकार क्षेत्र है व जीआरपी को चाहिये कि ऐसे में तत्काल सूचना मिलते ही सर्वसम्बन्धित को सूचित करें तथा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दें।

(5) प्रथम सूचना प्राप्त होते ही कार्यवाही करनी चाहिये तथा जहॉ कुछ प्रकरणों में कड़ी कार्यवाही की गयी, वहीं इस प्रकार की गुण्डागर्दी पर पूर्ण लगाम लग जायेगी।

(6) जिला पुलिस अधीक्षक से आप, जनपदीय क्षेत्राधिकारियों से आपके क्षेत्राधिकारी तथा थानों से जीआरपी के थाना/चौकी प्रभारी सम्पर्क करके इस प्रकार की होने वाली घटनाओं वाले रास्ते में ड्यूटी लगवायें क्योंकि जीआरपी का कार्य क्षेत्र आउटर से आउटर तक ही है तथा शेष जनपदीय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में ट्रेने गुजरती हैं, जहॉ पर इन घटनाओं की रोकथाम करना जनपदीय पुलिस का दायित्व है।

(7) पूर्व की घटनाओं में जो लोग प्रकाश में आये हैं और अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(8) समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाये कि इस तरह की गुण्डागर्दी एवं पत्थरबाजी की घटनाओं से यात्रा करने वाले यात्रियों को नुकसान पहुँचता है, वह उनके ही भाई-बहन है, अतः इस तरह का गलत कार्य न करें।

(9) पूर्व निर्धारित भर्तियों, परीक्षाओं एवं धरना-प्रदर्शन वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर सुरक्षा प्रबन्ध करें तथा अवैधानिक कार्य करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करें ताकि कोई घटना न होने पाये। इस तरह के पूर्व निर्धारित कार्यकमों में स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस के माध्यम से वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित किया जाये।

(10) इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाये कि ट्रेनों में जो लोग यात्रा करते हैं, उनके पास मोबाइल फोन या कैमरा रहता है और कोई इस तरह की घटनाओं को

अंजाम देता है तो उसकी फोटोग्राफी कर लें तथा ट्रेन में जो नम्बर स्टिकर्स में लिखे हैं, उन्हें उपलब्ध करा दें।

(11) जो स्टिकर्स छपवाकर आपको भिजवाये गये हैं, उनमें हेल्प लाइन के नम्बर अंकित है, उनको ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर चस्पा करवायें तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जायें। यह भी प्रकाशित कराया जाये कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो किन-किन नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है तथा नजदीकी थानों व ट्रेन में चल रहे एस्कोर्ट से सम्पर्क कर कार्यवाही हेतु मदद प्राप्त करें।

(12) डिजिटल कैमरों एवं वीडियो कैमरा से फोटोग्राफी कराई जाये तथा उनके फोटो रखे जायें, जिससे कि ऐसी घटनायें होने पर पहचान एवं कार्यवाही में मदद मिल सके।

(13) अनाधिकृत यात्रियों, दैनिक यात्रियों, एमएसटी होल्डर्स, भर्ती/छात्रों के समूहों द्वारा बिना आरक्षण के आरक्षित डिब्बों में प्रवेश को रेलवे एवं आरपीएफ से सम्पर्क कर रोकवाया जाये, जिससे महिलाओं एवं लड़कियों के साथ अवांछनीय तत्व छेड़छाड़ व गुण्डागर्दी न करने पायें क्योंकि इस प्रकार से अवांछनीय तत्व घटनायें तो करते ही हैं, एलार्म चैन पुलिंग करके रास्ते में ट्रेन को रोककर उतरकर भाग जाते हैं।

(14) ऐसे रेलखण्डों को भी चिन्हित कर लिया जाये, जहाँ एलार्म चैन पुलिंग की घटनायें की जाती है तथा मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आरपीएफ एवं जनपदीय पुलिस के सहयोग से चेकिंग कराई जाये। आरपीएफ द्वारा भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आरपीएफ एवं रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(15) जहाँ पर गुण्डागर्दी, छेड़खानी या पत्थरबाजी की शिकायते हैं, उन रेलखण्डों पर रेलवे अधिकारियों से वार्ता कर टीटीई लगवाकर चेकिंग कराया जाये तथा जुर्माना वसूलवाया जाये।

(16) रेल प्रशासन से अनुरोध कर लें कि यार्ड में ट्रेनों को लॉक करके रखा जाये तथा प्लेटफार्म पर ही खोला जाये ताकि असामाजिक तत्व पहले से सीट न घेरने पायें।

(17) रेलवे स्टेशनों के अनाधिकृत प्रवेश के मार्गो को बन्द करवाया जाये।

(18) रेलवे व आरपीएफ के सहयोग से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी अवैध वेण्डर रेलवे स्टेशनों/ट्रेनों में न चलने पायें।

(19) ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग करवाई जाये। इसमें रेलवे व आरपीएफ का सहयोग लिया जाये।

(20) आरपीएफ के सहयोग से यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि महिलाओं के कोच में कोई पुरूष यात्री न चढ़े।

(21) अराजक तत्वों, स्थानीय दैनिक यात्रियों एवं एमएसटी होल्डर्स द्वारा दूर-दराज की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशान करना एवं अनाधिकृत रूप से आरक्षित सीटों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तथा बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरूद्ध रेलवे एवं आरपीएफ अधिकारियों से वार्ता कर एवं लिखित में अनुरोध कर अभियान चलवाकर कार्यवाही की जाये।

(21) यदि कोई मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उनकी न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये, जिससे कि दोषी लोगों को सजा दिलवाई जा सके।

3- इसका अनुपालन पूरे प्रदेश में सख्ती से कराया जाये तथा इस आदेश को जीआरपी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में ले आया जाये। इसमें कार्यवाही न करने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी दण्ड के पात्र होंगे।

27/12/13

(गुरदर्शन सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराने हेतु:-

1- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद।

2- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद।

3- समस्त क्षेत्राधिकारी रेलवे/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/समस्त चौकी इंचार्ज, जीआरपी उत्तर प्रदेश को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं स्वयं अनुपालन करने तथा अपने अधीनस्थों से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था/अपराध), उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदीय पुलिस को रास्ते में ड्युटियाँ लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं जीआरपी को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।